

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि०न० - 180/2022

अनवान : -

1. अनिशा पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी छानीबडी त० भादरा पत्नी जगदीश कुमार हाल आबाद गुडीयाखेडा तहसील व जिला सिरसा

वादीया

बनाम


1. मनफुल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
2. सुभाष पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
3. एसबीआई बैंक छानीबडी जरिये शाखा प्रबंधक छानीबडी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग व वकील प्रतिवादीगण श्री रामचंद्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 16/6 के मु० न० 15 किला न० 1, 2, 9 ता 12, 19/2, 20, 21, 22/1, मु० न० 16 किला न० 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, मु० न० 22 किला न० 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14 ता 17, मु० न० 23 किला न० 1/1, 1/2, 2/2, 9/2, 10, 11, 12/1, 19/2, 20, मु० न० 53 किला न० 10, 11, 19 ता 21, मु० न० 54 किला न० 16/1, 16/2, मु० न० 65 किला न० 7/3, 7/4, मु० न० 66 किला न० 1, 10/1, 10/2 कुल 9.0280 है० जिसमें नहरी 8.8770 है०, गै० मु० खाला 0.1000 है०, गै० मु० रास्ता 0.0510 है० खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 मनफुल के नाम से 4729/18056 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में से तन्हा प्रतिवादी सं० 1 मनफुल अकेले के बजाय वादीया अनिशा व प्रतिवादी सं० 1 मनफुल व प्रतिवादी सं 2 सुभाष को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

मुद्द पचा डिक्री आज दिनांक 10/10/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से



  
(शकुंतला चौधरी)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S.  
भादरा जिला हनुमानगढ़  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.



मि०न० - 180/2022

अनवान :-

1. अनिशा पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी छानीबडी त० भादरा पत्नी जगदीश कुमार हाल आबाद गुडीयाखेडा तहसील व जिला सिरसा

वादीया

बनाम

1. मनफुल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
2. सुभाष पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
3. एसबीआई बैंक छानीबडी जरिये शाखा प्रबंधक छानीबडी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री पवन सिहाग वादी  
श्री रामचंद्र बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 10/10/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 16/6 के मु० न० 15 किला न० 1, 2, 9 ता 12, 19/2, 20, 21, 22/1, मु० न० 16 किला न० 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, मु० न० 22 किला न० 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14 ता 17, मु० न० 23 किला न० 1/1, 1/2, 2/2, 9/2, 10, 11, 12/1, 19/2, 20, मु० न० 53 किला न० 10, 11, 19 ता 21, मु० न० 54 किला न० 16/1, 16/2, मु० न० 65 किला न० 7/3, 7/4, मु० न० 66 किला न० 1, 10/1, 10/2 कुल 9.0280 है० जिसमें नहरी 8.8770 है०, गै० मु० खाला 0.1000 है०, गै० मु० रास्ता 0.0510 है० खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 मनफुल के नाम से 4729/18056 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित हैं। वाद भूमि पहले वादी के दादा सुरजाराम की खातेदारी हुआ करती थी। प्रतिवादी सं० 1 कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं० 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं० 1 ने दावा की सभी मद संख्याओं को खारिज करके हुए ईकबाल दावा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया व प्रतिवादी सं० 2 व 3 तामिल उपरान्त भी हाजिर नहीं आने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व प्रतिवादी संख्या 4 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया।

साक्ष्य वादी में वादीया अनिशा पुत्री मनफुल के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। जिसमें वर्तमान जमाबंदी के साथ साथ पैतृक जमाबंदी व वारिसान प्रमाण पत्र तस्दीक करवाये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि मुताबिक अनुतोष वाद वादी डीकी किया जावे जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक 2 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 16/6 के मु० न० 15 किला न० 1, 2, 9 ता 12, 19/2, 20, 21, 22/1, मु० न० 16 किला न० 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, मु० न० 22 किला न० 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14 ता 17, मु० न० 23 किला न० 1/1, 1/2, 2/2, 9/2, 10, 11, 12/1, 19/2, 20, मु० न० 53 किला न० 10, 11, 19 ता 21, मु० न० 54 किला न० 16/1, 16/2, मु० न० 65 किला न० 7/3, 7/4, मु० न० 66 किला न० 1, 10/1, 10/2 कुल 9.0280 है० जिसमें नहरी 8.8770 है०, गै० मु० खाला 0.1000 है०, गै० मु० रास्ता 0.0510 है० खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 मनफुल के नाम से 4729/18056 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। जिसमें प्रतिवादी सं० 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं० 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद भूमि में वादीया अनिशा व प्रतिवादी सं० 1 मनफुल व प्रतिवादी सं० 2 सुभाष को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डीकी योग्य होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 16/6 के मु० न० 15 किला न० 1, 2, 9 ता 12, 19/2, 20, 21, 22/1, मु० न० 16 किला न० 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, मु० न० 22 किला न० 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14 ता 17, मु० न० 23 किला न० 1/1, 1/2, 2/2, 9/2, 10, 11, 12/1, 19/2, 20, मु० न० 53 किला न० 10, 11, 19 ता 21, मु० न० 54 किला न० 16/1, 16/2, मु० न० 65 किला न० 7/3, 7/4, मु० न० 66 किला न० 1, 10/1, 10/2 कुल 9.0280 है० जिसमें नहरी 8.8770 है०, गै० मु० खाला 0.1000 है०, गै० मु० रास्ता 0.0510 है० खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 मनफुल के नाम से 4729/18056 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में से तन्हा प्रतिवादी सं० 1 मनफुल अकेले के वजाय वादीया अनिशा व प्रतिवादी सं० 1 मनफुल व प्रतिवादी सं० 2 सुभाष को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/10/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में



(शकुंतला चौधरी)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व, R.A.S.)  
भादरा (जिला अधिकारी (राजस्व))  
भादरा जिला हनुमानगढ़